(भारत सरकार से प्राप्त अंग्रेजी सामग्री के अनुसार)

*ये परिचालनात्मक दिशानिर्देश **घटक 4** के लिए हैं। **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का केवल "स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी)" घटक।** इन्हें एनयूएलएम के मिशन दस्तावेज / मुख्य दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाए और एनयूएलएम के अन्य घटकों के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के लिए उन्हें संदर्भित किया जाए।*

घटक 4 : स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी)

1. प्रस्तावना :

1.1. इस घटक में शहरी गरीबों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानिक स्थितियों के अनुकूल लाभप्रद स्वरोजगार उद्यमों / माइक्रो उद्यमों की स्थापना के लिए व्यक्ति/समूह को वित्तीय सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें शहरी गरीब को बैंक से आसानी से ऋण पाने की पहुंच उपलब्ध कराने और एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को समर्थन भी दिया जाएगा। इस घटक में आगे माइक्रो उद्यमों में लगे हुए व्यक्तियों, समूह उद्यमों, एसएचजी सदस्यों और शहरी सड़क विक्रेताओं/ फेरीवालों को अपनी आजीविका के लिए प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य समर्थक सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस घटक में उद्यमकर्ताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा होगी।

1.2. अल्प रोजगार और बेरोजगार वाले शहरी गरीब को ऐसे विनिर्माण, सेवा और छोटे-मोटे कारोबार के ऐसे लघु उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके लिए काफी स्थानीय मांग हो। स्थानीय कौशल और स्थानीय कारीगरी को विशेष रूप से काम में लगाना चाहिए। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को चाहिए कि वह उपलब्ध कौशल, उत्पादों की विपणन क्षमता, लागत, आर्थिक संभाव्यता आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यकलापों/परियोजनाओं का संग्रह (कंपेन्डियम) विकसित करें।

1.3. एसईपी के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी लाभार्थियों को कम से कम शहर/नगर में गरीबों की जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपात की सीमा तक लाभ प्राप्त होने चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में लेते हुए इस घटक के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का कम से कम 15 प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिए।

2. लाभार्थी का चयन : शहरी गरीबों में से संभाव्य लाभार्थी का अभिनिर्धारण शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के समुदाय संघटक (सीओ) और व्यावसायिक करेंगे। एनयूएलएम का घटक अर्थात सामाजिक संग्रहण और संस्थागत विकास (एसएमएण्डआईडी) के अंतर्गत गठित समुदाय अर्थात

स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) और क्षेत्र स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) भी यूएलबी को एसईपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु संभाव्य व्यक्ति और समूह उद्यमियों को भेज सकते हैं। सहायता के लिए लाभार्थी सीधे ही यूएलबी अथवा उसके प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकता है। बैंक भी अपने स्तर पर संभाव्य लाभार्थियों का अभिनिर्धारण कर सकते हैं और ऐसे मामले सीधे ही यूएलबी को भेज सकते हैं।

3. शैक्षणिक अर्हताएं और प्रशिक्षण आवश्यकता : इस घटक के अंतर्गत संभाव्य लाभार्थी के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवश्यक नहीं है। तथापि जहां माइक्रो उद्यम विकास के लिए अभिनिर्धारित कार्यकलाप के लिए कुछ विशेष कौशल आवश्यक हो वहां लाभार्थी को वित्तीय सहायता देने से पहले उसे **घटक 3 : कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएण्डपी)** के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु समाविष्ट करते हुए यथोचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संभाव्य लाभार्थी को प्रस्तावित माइक्रो उद्यम चलाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने के बाद ही वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

   3.1 यदि लाभार्थी पहले ही ज्ञात संस्था, पंजीकृत एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन से अथवा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हो तो उसे ऐसा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते वह आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। यदि लाभार्थी ने पारिवारिक व्यवसाय से आवश्यक कौशल प्राप्त किए हैं तो वित्तीय सहायता देने से पहले ऐसे मामलों को यूएलबी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

   3.2 **उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)** : यूएलबी लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने के अलावा वैयक्तिक और समूह उद्यमियों के लिए 3-7 दिन का उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। ईडीपी में उद्यमशीलता विकास के मूलभूत कौशल जैसे उद्यम का प्रबंधन, मूलभूत लेखाकरण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, उत्पादन-पूर्व और उत्पादनोत्तर सहबद्धता, कानूनी क्रियाविधियां, लागत निर्धारण और राजस्व आदि शामिल किए जाएंगे। समूह उद्यमों में उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त माड्यूल में समूह की सक्रियता, काम का आबंटन, लाभ में हिस्सेदारी प्रणाली आदि भी समाविष्ट होगा।

   3.3 ईडीपी माड्यूल को राज्य मिशन प्रबंध इकाई (एसएमएमयू) द्वारा पैनलबद्ध संस्था/एजेंसी अथवा सलाहकार फर्म की सहायता से समर्थित राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) द्वारा पूर्णत: विकसित एवं अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और यूएलबी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरएसईटीआई), उद्यमशीलता विकास/प्रशिक्षण का कार्य करनेवाली प्रतिष्ठित संस्थाओं, प्रबंधन/ शैक्षणिक संस्थाओं, प्रतिष्ठित एनजीओ जो उद्यमशीलता विकास/प्रशिक्षण का कार्य करते हैं आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से यह ईडीपी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

   3.4 इस घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए खर्च को बजट के ईएसटीएण्डपी में से पूरा किया जाएगा।

4. वित्तीय सहायता का स्वरुप : शहरी गरीब को वैयक्तिक और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में होगी। वैयक्तिक अथवा समूह उद्यमों को स्थापित करने के लिए बैंक ऋणों पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर के अतिरिक्त

ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी। एनयूएलएम के अंतर्गत बैंकों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष और ब्याज की प्रचलित दर के बीच के अंतर की राशि उपलब्ध की जाएगी। इस संबंध में बैंकों से यथोचित प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा।

5. ब्याज सब्सिडी की कार्यविधि :

5.1 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक जो कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफार्म से संबद्ध हैं वे इस योजना के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन पाने के लिए पात्र होंगे।

5.2 बैंक की संबंधित शाखा लाभार्थियों को ऋण वितरण के बाद ब्याज सब्सिडी राशि के ब्योरों के साथ वितरित ऋण मामलों के ब्योरे यूएलबी को प्रेषित करेगी।

5.3 बैंकों द्वारा किए गए दावों का निपटान यूएलबी द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा, तथापि दावों का प्रस्तुतीकरण मासिक आधार पर किया जाना चाहिए। यूएलबी अपने स्तर पर तारीख की जांच करेगा और ब्याज सब्सिडी की राशि (7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा प्रचलित ब्याज दर के बीच अंतर की राशि) बैंकों को जारी करेगा।

5.4 इस घटक के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दावों के लिए निर्धारित फार्मेट संलग्न **(अनुबंध - v)** है।

5.5 राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) को राज्य सरकार के साथ परामर्श से दावों को इकट्ठा करने / स्वीकृत करने की कोई वैकल्पिक क्रियाविधि विकसित करने का विकल्प है।

5.6 दावे एक तिमाही से अधिक लंबित नहीं होने चाहिए। यदि बैंकों के दावों का निपटान 6 माह की अवधि में नहीं होता है तो एसएलबीसी को अधिकार है कि वह ऐसे यूएलबीएस द्वारा दावों के निपटान की शर्त के अधीन चुनिंदा शहरों में यह योजना अस्थायी तौर पर बंद करे। ऐसी संभाव्य घटनाओं में दावों का निपटान भावी प्रभाव से अग्रणी जिला बैंक को दिया जाना चाहिए।

6 उप घटक 4.1 - वैयक्तिक उद्यम (एसईपी - 1) ऋण और सब्सिडी

6.1 स्वरोजगार के लिए वैयक्तिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने हेतु इच्छुक शहरी गरीब वैयक्तिक लाभार्थी किसी भी बैंक से इस घटक के अंतर्गत रियायती (सब्सिडाइज्ड) ऋण ले सकता है। वैयक्तिक माइक्रो उद्यम ऋणों के मानदंड/विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

6.2 **आयु** : ऋण के लिए आवेदन करते समय संभाव्य लाभार्थी की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।

6.3 **परियोजना लागत (पीसी)** : वैयक्तिक माइक्रो-उद्यम के मामले में अधिकतम इकाई परियोजना लागत रु. 200,000 (दो लाख रुपए) है।

6.4 **बैंक ऋण पर संपार्श्विक** : कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं। दिनांक 6 मई 2010 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.79/ 06.02.31/2009-10 के अनुसार बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए **10 लाख** रूपए तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक जमानत स्वीकार न करें **(अनुबंध -I)**। अत: निर्मित आस्तियां ही ऋण देने के लिए बैंकों के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/बंधक रखी जानी होंगी। एसईपी ऋणों के लिए गारंटी रक्षा (कवर) प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंक

कार्यकलाप की पात्रता के अनुसार गारंटी रक्षा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारत सरकार द्वारा स्थापित माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) से संपर्क कर सकते हैं (योजना के ब्यौरे **अनुबंध - II** में दिए गए हैं)।

6.5 **चुकौती** : बैंकों के मानदंडों के अनुसार 6-18 माह के प्रारंभिक ऋण स्थगन के बाद चुकौती की अवधि 5 से 7 वर्ष तक की होगी।

7 उप-घटक 4.2 - समूह उद्यम (एसईपी-जी) - ऋण और सब्सिडी

स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) अथवा एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम के अंतर्गत गठित एसएचजी के सदस्य अथवा शहरी गरीबों का समूह जो स्वरोजगार हेतु समूह उद्यम स्थापित करने का इच्छुक है, इस घटक के अंतर्गत किसी भी बैंक से रियायती ऋण का लाभ ले सकता है। समूह माइक्रो-उद्यम ऋणों के लिए मानदंड/विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

7.1 पात्रता : समूह उद्यमों में न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए और उनमें से न्यूनतम **70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवारों** से होने चाहिए। लाभार्थियों/समूह के सदस्यों द्वारा समूह-उद्यम स्थापित करने संबंधी आवेदन पत्र/इरादा पत्र अधिमानत: समुदाय संरचना उदाहरण के लिए एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम के अंतर्गत गठित एसएचजी/एएलएफ द्वारा संदर्भित किए जाने चाहिए।

7.2 आयु : बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय समूह उद्यम के सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।

7.3 परियोजना लागत (पीसी) : समूह उद्यम के मामले में अधिकतम इकाई परियोजना लागत **10,00,000** रुपए (दस लाख रुपए) है।

7.4 ऋण : बैंक द्वारा समूह उद्यम को ऋण राशि के रूप में परियोजना लागत से लाभार्थी के अंशदान (बैंक द्वारा यथा निर्धारित) को घटाकर शेष राशि उपलब्ध की जाएगी।

7.5 **बैंक ऋण पर संपार्श्विक गारंटी** : कोई संपार्श्विक गारंटी आवश्यक नहीं। केवल निर्मित आस्तियां ही ऋण देने के लिए बैंकों के पास दृष्टिबंधक/बंधक/गिरवी रखी जानी होंगी। पैरा 5.4 में दिए गए अनुसार बैंक माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) से संपर्क कर सकते हैं।

7.6 **चुकौती** : बैंकों द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 6-18 माह के प्रारंभिक ऋण स्थगन के बाद चुकौती अवधि 5-7 वर्ष की होगी।

8 आवेदनों को प्रायोजित करने की क्रियाविधि

8.1 वैयक्तिक और समूह उद्यम ऋणों संबंधी आवेदन पत्र शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे जो वैयक्तिक और समूह उद्यम के लिए प्रायोजक एजेंसी होगी।

8.2 यूएलबी सम्पर्क साधनों (मास मीडिया) के अभियान, आईईसी गतिविधियों, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, नगर आजीविका केंद्र (सीएलसी), आदि द्वारा संभाव्य लाभार्थियों में एसईपी के बारे में जागरूकता निर्मित करेगा। यूएलबी संसाधन संगठनों और उसके क्षेत्रीय

स्टाफ को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए इस घटक के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार भी कर सकता है।

8.3 उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी इस प्रयोजन के लिए आवेदन एक सादे पेपर पर मूलभूत ब्योरे जैसे नाम, आयु, संपर्क के ब्योरे, पता, आधार के ब्योरे (यदि कोई हो), अपेक्षित ऋण की राशि, बैंक खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो), उद्यम/कार्यकलाप का प्रकार, संवर्ग, आदि देते हुए संबंधित यूएलबी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में मेल/डाक द्वारा भी इरादों की सूचना यूएलबी कार्यालय को दी जा सकती है। पूरे वर्ष भर में यूएलबी ऐसे इरादों की सूचना स्वीकार करेगा।

8.4 एनयूएलएम के सामाजिक संघटन और संस्थात्मक विकास (एसएमएण्डआईडी) घटक के अंतर्गत गठित समुदाय संरचनाएं अर्थात स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) क्षेत्र स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) भी एसईपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु भावी वैयक्तिक और समूह उद्यमियों को यूएलबी के पास संदर्भित कर सकते हैं।

8.5 लाभार्थी से प्रयोजन प्रस्तुत किए जाने/प्राप्त हो जाने पर संबंधित यूएलबी रजिस्टर/या यदि उपलब्ध हो तो, एमआईएस में ब्योरों की प्रविष्टि करेगा और इसलिए लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा। लाभार्थी को ऐसी विशिष्ट पंजीकरण संख्या के साथ यूएलबी प्राप्ति-सूचना जारी करेगा, जिसे आवेदन की स्थिति का ट्रैक रखने के लिए संदर्भ संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

8.6 पात्रता मानदंडों और प्रयोजन पत्र की प्राप्ति के अनुसार भी बैंक लाभार्थियों का अभिनिर्धारण कर सकते हैं। बैंकों को सीधे प्राप्त होनेवाले आवेदन यूएलबी को भेजे जाएंगे। ऐसे मामले में भी आवेदन प्रतीक्षा सूची का एक भाग होंगे।

8.7 ऋण आवेदन फार्म (एलएएफ) कार्यकलाप के ब्योरे, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, बैंक खाते के ब्योरे आदि सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण पूर्ण करने के लिए प्रतीक्षा सूची के अनुसार यूएलबी लाभार्थियों को बुलाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंक के साथ परामर्श से एसयूएलएम उपयुक्त फार्मेट में **ऋण आवेदन फार्म (एलएएफ)** तैयार कर सकता है। राज्य भर में उसी एलएएफ का उपयोग किया जाए।

8.8 सभी दृष्टि से परिपूर्ण आवेदन छानबीन के लिए यूएलबी द्वारा गठित कार्य दल (टास्क फोर्स) के पास भेजे जाएंगे जो आवेदन के लिए सिफारिश करने अथवा उसे अस्वीकार करने से पहले साक्षात्कार हेतु लाभार्थियों को बुलाएगा अथवा आवश्यक होने पर आवेदक से अतिरिक्त जानकारी की मांग करेगा।

8.9 टास्क फोर्स द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए मामले आगे की कार्रवाई के लिए यूएलबी द्वारा संबंधित बैंकों को अग्रसारित किए जाएंगे। 'टास्क फोर्स' द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे मामलों पर संबंधित बैंकों को **15 दिनों** की समयावधि में कार्रवाई करनी होगी। चूंकि ऐसे मामलों की सिफारिश पहले ही 'टास्क फोर्स' द्वारा की गई होती है, इसलिए बैंकों द्वारा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही इन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।

8.10 बैंक प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट यूएलबी को भेजेंगे। एसआईएस का प्रयोग किए जाने की स्थिति में बैंकों को दस्ती रिपोर्ट (मैन्युअल रिपोर्ट) के अलावा आवेदनों की अद्यतन स्थिति ऑन-लाइन देने की अनुमति दी जा सकती है।

9 यूएलबी स्तर पर टास्क फोर्स

9.1 वैयक्तिक और समूह उद्यमों के मामले यूएलबी द्वारा आगे बैंकों को भेजे जाने के लिए सिफारिश करने हेतु यूएलबी स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित किया जाए। उक्त टास्क फोर्स के गठन का दायित्व यूएलबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)/नगरपालिका आयुक्त का होगा और वह टास्क फोर्स का **अध्यक्ष** होगा। यूएलबी के आकार/जनसंख्या के अनुसार यूएलबी के स्तर पर **1 से अधिक टास्क फोर्स** हो सकते हैं। टास्क फोर्स की निदर्शी संरचना निम्नानुसार होगी :

क्रम सं.	**यूएलबी स्तर पर टास्क फोर्स**	**भूमिका**
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), यूएलबी/ नगरपालिका आयुक्त, यूएलबी/अथवा सीईओ, यूएलबी द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2.	अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम)	सदस्य
3.	नगर परियोजना अधिकारी (सीपीओ), यूएलबी/ यूएलबी का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य संयोजक
4.	जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) से प्रतिनिधि	सदस्य
5.	बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (अधिकतम-2)	सदस्य
6.	क्षेत्र स्तरीय परिसंघ/शहर स्तरीय परिसंघ के प्रतिनिधि (2)	सदस्य

9.2 यूएलबी टास्क फोर्स को आवेदन अग्रसारित करेगा जो अनुभव, कौशल, कार्यकलाप की अर्थक्षमता, कार्यकलाप की व्याप्ति आदि के आधार पर उनकी छानबीन करेगा। तदनंतर टास्क फोर्स आवेदनों को शार्टलिस्ट करेगा और साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाएगा।

9.3 बाद में आवेदन यथोचित पाए जाने पर टास्क फोर्स मामला-दर-मामला आधार पर सिफारिश करेगा, यदि अनुचित हो तो अस्वीकार करेगा अथवा लाभार्थी से पुन: जांच करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

10 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के साथ सहबद्धता

एसईपी ऋणों के लिए गारंटी रक्षा (कवर) प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंक कार्यकलाप की पात्रता के अनुसार गारंटी रक्षा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारत सरकार द्वारा स्थापित माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) से संपर्क कर सकते हैं। योजना के ब्योरे **अनुबंध - II** में दिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने

अपने 6 मई 2010 के परिपत्र में बैंकों को संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण गारंटी योजना रक्षा (कवर) लेने का भी निदेश दिया है **(अनुबंध - I)**।

11. इसईपी- I और एसईपी-जी के लिए प्रगति की रिपोर्टिंग

11.1 यूएलबी संबंधित बैंकों के साथ आवेदकों के वैधीकरण के बाद टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों का डाटा पत्रक तैयार करेगा जिसमें स्वीकृति, वितरण और अस्वीकरण (कारणों सहित) की स्थिति दी गई हो। यह डाटा पत्रक एसयूएलएम को मासिक आधार पर भेज दिया जाएगा।

11.2 एसयूएलएम संबंधित यूएलबी से प्राप्त सभी रिपोर्टों को समेकित करेगा और एचयूपीए मंत्रालय को मासिक आधार पर सूचित करेगा।

11.3 एसयूएलएम को चाहिए कि वह एसईपी के अंतर्गत प्रगति की प्रत्येक एसएलबीसी और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक में समीक्षा करना सुनिश्चित करें। प्रभावी समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए एसयूएलएम को एसईपी के संबंध में अन्य कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसे एसएलबीसी संयोजक बैंक के पास उठाना चाहिए।

12. उप-घटक 4.3 - एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (एसएचजी - बैंक सहबद्धता)

12.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति और समय-समय पर केन्द्रीय बजट में की जानेवाली घोषणाओं में बैंकों के साथ एसएचजी की सहबद्धता पर बल दिया जा रहा है और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एसएचजी सहबद्धता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसे निरंतर बनाए रखने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एसएचजी को दिए जाने वाले उधार को नीति और कार्यान्वयन के अपने मुख्य प्रवाह के ऋण (क्रेडिट) कार्य के भाग के रूप में मान लें।

12.2 एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र (दिनांक 01 जुलाई 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि.एफआईडी.बीसी.सं. 10/12.01.033/ 2013-14 - **अनुबंध - III**) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एसएचजी बैंक सहबद्धता के संबंध में अनुदेश दिए हैं। एसएचजी बैंक सहबद्धता में ऐसे स्वयं- सहायता समूहों (चाहे पंजीकृत हों अथवा अपंजीकृत) के **बचत बैंक खाते खोलना** शामिल है जो अपने सदस्यों के बीच प्रारंभिक रूप में बचत की आदत को बढ़ावा देने में लगे हुए हों। तदनंतर बैंकों द्वारा विधिवत मूल्यांकन अथवा ग्रेड दिए जाने के बाद एसएचजी को **बचत सहबद्ध ऋण** (बचत के प्रति ऋण का अनुपात 1:1 से बदलकर 1:4) मंजूर किया जा सकता है। तथापि, परिपक्व एसएचजी के मामले में बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार बचत के चार गुना की सीमा से अधिक ऋण दिया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी अनुदेश दिया है कि बैंक एसएचजी को अग्रिमों को दिए जानेवाले, चाहे एसएचजी के सदस्य वह किसी भी प्रयोजन से लेते हो, कमजोर वर्गों को दिए जानेवाले अपने उधार के एक भाग के रूप में शामिल करें।

12.3 एनयूएलएम के घटक सामाजिक संघटन और संस्था विकास (एसएमएण्डआईडी) के अंतर्गत यूएलबी एसएचजी के लिए बैंक खाता खोलने संबंधी आवश्यक आधारभूत कार्य करेगा और परिक्रामी निधि (आरएफ) के प्रति पहुंच की सुविधा देगा। इस प्रयोजन के लिए यूएलबी

संसाधन संगठन (आरओ) को काम में लगा सकता है अथवा अपने स्टाफ के माध्यम से एसएचजी को सीधे ही सुविधा पहुंचा सकता है। (एनयूएलएम के सामाजिक संघटन और संस्थागत विकास (एसएमएण्डआईडी) घटक में एसएचजी, आरओ और परिक्रामी निधि की संकल्पना और निर्माण के ब्योरे दिए गए हैं)।

12.4 शहरी गरीब को वहन करने योग्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से एनयूएलएम बैंक ऋण लेने वाले एसएचजी को ब्याज सब्सिडी देगा। शहरी गरीब के एसएचजी को दिए जाने वाले सभी ऋणों पर बैंक द्वारा लगाई जानेवाली वर्तमान ब्याज दर और 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच के अंतर की राशि ब्याज सब्सिडी होगी। बैंकों को एसएचजी ऋण पर ब्याज राशि में अंतर की राशि (वर्तमान ब्याज दर और 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच अंतर) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12.5 सभी **महिला एसएचजी** (**डब्ल्यूएसएचजी**) जो समय पर अपने ऋण की चुकौती करता है को अतिरिक्त 3 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। ब्याज सब्सिडी ऋण की समय पर चुकौती (ऋण चुकौती समय के अनुसार) की शर्त पर दी जाएगी और यूएलबी द्वारा बैंकों से उचित प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा। अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति पात्र डब्ल्यूएसएचजी को की जाएगी। बैंकों को चाहिए कि वे पात्र डब्ल्यूएसएचजी खातों में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि जमा करें और तदनंतर उसकी प्रतिपूर्ति की मांग करें।

12.6 यूएलबी अपने क्षेत्रीय स्टाफ अथवा संसाधन संगठन (आरओ) के माध्यम से बैंकों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रवेश करने वाले पात्र एसएचजी के ऋण आवेदन भरने में सहायता करेगा। यूएलबी, एसएचजी का ऋण आवेदन आवश्यक दस्तावेजीकरण के साथ संबंधित बैंकों को अग्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यूएलबी बैंकों को अग्रसारित किए गए एसएचजी ऋण आवेदनों का क्षेत्र-वार, बैंक-वार, आरओ/स्टाफ- वार डेटा बनाए रखेगा। वही डेटा मासिक आधार पर एसयूएलएम को प्रेषित किया जाएगा।

12.7 बैंक यूएलबी को ब्याज सब्सिडी राशि की गणना के ब्योरों के साथ वितरित ऋण मामलों के ब्योरे प्रेषित करेंगे। यूएलबी अपने स्तर पर डेटा की जांच करेगा और **पैरा 5** में उल्लेख किए गए अनुसार समान क्रियाविधि का पालन करते हुए तिमाही आधार पर बैंकों को ब्याज सब्सिडी राशि जारी करेगा। अतिरिक्त ब्याज अनुदान का दावा करने के लिए निर्धारित फार्मेट संलग्न है (**अनुबंध - VI**)।

12.8 एनयूएलएम के अंतर्गत प्रभावी एसएचजी-बैंक सहबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एसयूएलएम बैंकों के साथ नियमित आधार पर प्रगति पर निगरानी रखेगा और समीक्षा करेगा और राज्य में एसएचजी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी/ अनुदान के लिए एसएलबीसी के साथ समन्वयन करेगा। शहरी गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए बैंक और शाखा के स्टाफ के सुग्राहीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) और अग्रणी बैंकों को सक्रिय रूप से काम में शामिल करना चाहिए।

12.9 यह नोट करें कि ऐसे एसएचजी का अभिनिर्धारण, चयन, गठन और निगरानी जिन्हें ब्याज अनुदान दिया जाएगा यह राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी होगी तथा ऐसे एसएचजी के गलत अभिनिर्धारण जिसे ब्याज अनुदान दिया जाएगा, के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे।

12.10 शीघ्र चुकौती के लिए रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

12.10.1 एसएचजी को नकद ऋण सीमा

i. बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक मात्रा में निरंतर 30 दिनों से अधिक के लिए बना हुआ नहीं रहना चाहिए।

ii. खाते में नियमित जमा (क्रेडिट) और नामे (डेबिट) प्रविष्टि होनी चाहिए। हर हालत में माह के दौरान कम से कम एक 'ग्राहक प्रेरित ऋण' होना चाहिए।

iii. माह के दौरान ग्राहक प्रेरित ऋण माह के दौरान नामे डाले गए ब्याज की रक्षा (कवर) के लिए पर्याप्त होगा।

12.10.2 <u>एसएचजी को मीयादी ऋण</u> : ऐसा मीयादी ऋण खाता जिसमें सभी ब्याज भुगतान और / अथवा मूलधन की किस्तों का भुगतान ऋणों की समग्र अवधि के दौरान नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाता है उसे शीघ्र भुगतान वाला खाता माना जाएगा।

शीघ्र भुगतान संबंधी दिशानिर्देश इस विषय पर भविष्य के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बने रहेंगे।

13. उप-घटक 4.4 - उद्यम विकास के लिए क्रेडिट कार्ड

13.1 वैयक्तिक उद्यमियों को वित्तीय सहायता चाहे एनयूएलएम के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती ऋण होने पर भी उसे शहरी गरीब को आजीविका सहायता की सुविधा देने के प्रारंभिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाएगा। तथापि, वैयक्तिक उद्यमियों को उद्यम को आर्थिक दृष्टि से वहनीय बनाने के लिए कार्यशील पूंजी के संदर्भ में और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें वस्तुओं कच्चे माल की खरीद और अन्य विविध खर्च आदि व्यय की पूर्ति करने के लिए तत्काल और अल्पावधि मासिक नकद आवश्यकता को समाविष्ट किया जा सकता है। माइक्रो उद्यमकर्ता को उद्यमशील कार्यकलापों से निर्माण होने वाले व्ययों की पूर्ति करने के लिए नियमित निश्चित मासिक नकदी प्रवाह/आय नहीं होती है। इस तरह की तत्काल ऋण आवश्यकता के लिए वित्तीय संस्था से संपर्क करने के लिए क्रियाविधिगत दस्तावेजीकरण आवश्यक होता है और इसमें बहुत समय बीत जाता है। कार्यशील पूंजी ऋण की इस आवश्यकता की पूर्तता सामान्यतया ऋण के अनौपचारिक स्रोतों (साहूकारों सहित) से की जाती है जो औसतन उच्च ब्याज दर पर उपलब्ध होता है।

13.2 एनयूएलएम से माइक्रो उद्यमी को अपनी कार्यशील पूंजी और विविध ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करने की दृष्टि से बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड की पहुंच सुविधाजनक होगी।

13.3 एसयूएलएम राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के परामर्श से वैयक्तिक उद्यमी को क्रेडिट कार्ड जारी करने के मानदंड, सीमाएं और विशेषताएं निर्धारित करेगा। इसके लिए एसयूएलएम और एसएलबीसी द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी) अथवा शहरी क्षेत्रों में बैंकों के उद्यम विकास के लिए अन्य किसी स्वरूप के क्रेडिट कार्ड की संभावना की जांच की जाएगी। रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार संशोधित जीसीसी योजना के ब्योरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

13.4 यूएलबी संभाव्य लाभार्थी की पहचान करेगा और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के साथ सहबद्धता की सुविधा उपलब्ध करेगा। फोकस इस बात पर है कि प्रारंभिक रूप से ऐसे सभी लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने में समाविष्ट करना जिन्होंने एसईपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है। इसके अलावा, ऐसे अन्य लाभार्थी जो अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं परंतु जिन्होंने एसईपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं की है, यदि वे क्रेडिट कार्ड जारी करने के मानदंडों की पूर्ति करते तो हैं तो उन्हें भी इसमें समाविष्ट किया जा सकता है ।

13.5 यूएलबी के स्तर पर इसके लक्ष्य निश्चित किए जा सकते हैं और इस घटक के अंतर्गत प्रगति का समेकन एसयूएलएम के स्तर पर किया जा सकता है तथा एचयूपीए मंत्रालय को आवधिक रूप से सूचित किया जा सकता है।

14. उप-घटक 4.5 - प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य सहायता

14.1 माइक्रो उद्यमियों को प्राय: अपना व्यवसाय बढ़ाने और उसे बनाए रखने की दृष्टि से सहायता की आवश्यकता होती है। आवश्यक सहायता स्थापना, प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य सेवाओं से संबंधित हो सकती है। जो माइक्रो उद्यमी अत्यंत लघु व्यवसाय करते हैं उन्हें बाज़ार की आवश्यकताएं, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग, मूल्य, कहां बिक्री करनी, आदि का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। इस घटक के अंतर्गत सहायक सेवाओं की परिकल्पना इस दृष्टि से की गई है ताकि माइक्रो उद्यमों के विकास के लिए प्रोत्साहक परिवेश उपलब्ध हो सके।

14.2 एनयूएलएम के अंतर्गत स्थापित नगर आजीविका केंद्र (सीएलसी) माइक्रो उद्यमों को दीर्घावधि तक बने रहने के लिए स्थापना (लाइसेंस, प्रमाणपत्र पंजीकरण, कानूनी सेवाएं आदि), उत्पादन, वसूली, प्रौद्योगिकी, प्रोसेसिंग, विपणन, बिक्री, पैकेजिंग, लेखाकरण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। सीएलसी माइक्रो उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए बाज़ार मांग और बाजार कार्यनीति पर संभाव्यता/मूल्यांकन अध्ययन करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

14.3 सीएलसी के मानदंडों के अनुसार सभी एसईपी वैयक्तिक और समूह उद्यम सीएलसी से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सीएलसी यूएलबी के समर्थन से ऐसी विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल कर सकता है जिनमें भावी लाभार्थियों के लाभ के लिए माइक्रो उद्यम विकास हेतु सेवा और लाभ दिए जा रहे हैं।

14.4 एसयूएलएम उपर्युक्त सेवाएं दिए जाने के प्रयोजन से सीएलसी को अतिरिक्त निधि/व्यावसायिक सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

15. निधियन का स्वरूप

15.1 इस घटक के अंतर्गत निधियन में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में होगी। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच यह अनुपात 90:10 होगा।

15.2 मंत्रालय राज्यों को आबंटित लक्ष्यों पर आधारित निधियों का वार्षिक आधार पर आबंटन करेगा। राज्य संबंधित एसएलबीसी और यूएलबी के साथ परामर्श से लक्ष्य निश्चित करेगा और यूएलबी को तदनुरूपी निधियों का आबंटन करेगा ताकि ब्याज अनुदान के कारण बैंकों को की

जानेवाली संपूर्ण प्रतिपूर्ति का निपटान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सके तथा राज्य के पास कोई अनुदान राशि अतिदेय या विलंबित न रहे। इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आबंटित बजट तक प्रतिबंधित होगा। एचयूपीए मंत्रालय को वर्ष 2014-15 के लिए आबंटित बजट प्राप्त होने के बाद यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पुन: लागू होगी।

16. निगरानी और मूल्यांकन

16.1 राज्य स्तर पर एसएमएमयू और यूएलबी स्तर पर सीएमएमयू इस घटक के अंतर्गत कार्यकलापों/लक्ष्यों की प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखेगा, रिपोर्ट और मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व लेगा। एसयूएलएम और यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियां मिशन निदेशालय द्वारा निर्धारित फार्मेट में समय-समय पर प्रगति की सूचना देंगी जिसमें मासिक और तिमाही के अंत तक संचयी उपलब्धि और कार्यान्वयन के प्रमुख विषयों का उल्लेख होगा।

16.2 इसके अलावा एनयूएलएम के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियों का ट्रैक रखने के लिए व्यापक और सुदृढ़ आईटी-समर्थित एनयूएलएम एमआईएस स्थापित की जाएगी। राज्यों और यूएलबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और वे इस साधन का उपयोग आम लोगों के बीच प्रगति पर निगरानी रखने के लिए भी कर सकेंगे। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण और एनयूएलएम के अधीन पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के विचार से एसईपी के अंतर्गत प्रमुख प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध किए जाएंगे।

अनुबंध - I

भारिबैं/2009-10/449
ग्राआक्रवि.एसएमइ एंड एनएफएस.बीसी.सं.79/06.02.31/2009-10 6 मई 2010

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)

महोदय,

माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना
की समीक्षा करने के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण

जैसाकि आपको ज्ञात है, माइक्रो और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्य-दल (अध्यक्ष श्री वी. के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) गठित किया गया था। कार्य-दल की रिपोर्ट का विमोचन 6 मार्च 2010 को किया गया जो हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। कार्य-दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि -

"एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को 5 लाख रूपए के वर्तमान स्तर से 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए तथा बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए। उसके बदले बैंक सीजीएस के अंतर्गत संपार्श्विक रहित ऋण सुविधाओं के लिए कवर ले सकते हैं। सीजीएस को बढ़ाने के उद्देश्य से योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा लाभों के बारे में व्यापक जागरुकता निर्मित करना आवश्यक है। चूंकि शाखा स्तर के पदाधिकारियों को संपार्श्विक के बदले उधार देने में अभिरूचि होती है, कार्य-दल यह सिफारिश करता है कि बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करने का पूर्ण रूप से स्वामित्व ग्रहण कर लें तथा इसमें फील्ड स्टाफ का मूल्यांकन करने में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल करें।"

उपर्युक्त सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई हैं। तदनुसार, दिनांक 24 अगस्त 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआक्रवि.एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं.16/ 06.02.31(पी)/2009-10 में आशोधन करते हुए बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे

एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामलों में संपार्श्विक जमानत स्वीकार न करें।

2. बैंक अपनी शाखा स्तर के पदाधिकरियों को सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्सहित करें जिसमें उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल हो।

3. कृपया आप इस संबंध में अतिसावधानीपूर्वक और कड़े अनुपालन हेतु अपनी शाखाओं/ नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध - II

माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना_(सीजीएमएसई) लागू की गयी थी। उक्त योजना के अंतर्गत शामिल होने हेतु नए तथा पुराने दोनों ही उद्यम पात्र हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक न्यास स्थापित किया है जिसका नाम है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई)। उक्त योजना 30 अगस्त 2000 से औपचारिक रूप से लागू की गई और यह 1 जनवरी 2000 से परिचालन में आ गई थी। सीजीटीएमएसई की निधि में 4:1 के अनुपात में सरकार एवं सिडबी का अंशदान है और इन्होंने 31 मार्च 2010 तक न्यास की निधि में 1906.55 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। जैसाकि एमएसई के पैकेज में घोषित किया गया है, ग्यारहवीं योजना तक इस राशि को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए किया जाना है।

पात्र ऋणदात्री संस्थाएं

उक्त योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं हैं अनुसूचित वाणिज्य बैंक (सरकारी क्षेत्र बैंक/निजी क्षेत्र बैंक/विदेशी बैंक) तथा चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जिन्हें नाबार्ड द्वारा 'निरंतर अर्थक्षम' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है)। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (एनईडीएफआई) और सिडबी को भी पात्र संस्थाएं बना दिया गया है। 31 मार्च 2010 तक न्यास के (एमएलआई) के रूप में पंजीकृत पात्र ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 112 थी जिनमें 27 सरकारी क्षेत्र बैंक, 16 निजी क्षेत्र बैंक, 61 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 विदेशी बैंक और 6 अन्य संस्थाएं अर्थात् एनएसआईसी, एनईडीएफआई, सिडबी और तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (टीएनआईआईसी) शामिल थीं।

पात्र ऋण सुविधा

उक्त योजना के अंतर्गत शामिल की जानेवाली पात्र ऋण सुविधाएं प्रति उधारकर्ता यूनिट 100 लाख रूपए तक के मीयादी ऋण एवं कार्यकारी पूंजी सुविधा दोनों ही है जो किसी नए या विद्यमान माइक्रो और लघु उद्यम को बिना किसी संपार्श्विक जमानत अथवा तीसरी पार्टी गारंटी के प्रदान की जाती है। उक्त गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल ऐसे यूनिटों के लिए जो प्रबंध व्यवस्था के नियंत्रण के बाहर के कारकों के कारण रुग्ण बन जाते हैं, उधारदाता द्वारा दी जानेवाली पुनर्वास सहायता को भी गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि ऋण सुविधा 50 लाख रूपए से अधिक हो जाती है तो

फिर भी उसे योजना में शामिल किया जाता रहेगा परंतु गारंटी रक्षा केवल 50 लाख रुपए की ऋण सहायता के लिए ही दी जाएगी। उक्त योजना के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि उधारकर्ता यूनिट द्वारा ऋण सुविधा किसी एकल ऋणदात्री संस्था से ली जानी चाहिए। तथापि, राज्य स्तरीय संस्था / एनएसआईसी / एनईडीएफआई द्वारा पहले ही सहायता प्राप्त

यूनिट को सदस्य बैंक से ली गई ऋण सुविधा के लिए उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि अन्य पात्रता मानदंड पूरे किए जाएं। ऐसी किसी ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिम सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा परिचालित किसी योजना के अंतर्गत पहले ही रक्षा प्राप्त हैं, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र नहीं होगी।

गारंटी रक्षा

उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध गारंटी रक्षा ऋण सुविधा की मंजूर राशि के 75 प्रतिशत तक होगी। गारंटी रक्षा की 80 प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित के लिए होगी - (i) माइक्रो उद्यम 5 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए; (ii) महिलाओं द्वारा परिचालित और/या स्वाधिकृत एमएसई ; (iii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी ऋण । चूक के मामले में, न्यास ऋण दात्री संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा की चूक की राशि के 75 प्रतिशत तक (या जहां कहीं लागू हो 80 प्रतिशत तक) की राशि के दावों का निपटान करता है। इस प्रयोजन के लिए चूक की राशि का हिसाब मीयादी ऋण के संबंध में उधारकर्ता के खाते में बकाया मूलधन के रूप में और खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) बन जाने की तारीख को ब्याज समेत बकाया कार्यकारी पूंजी की राशि के रूप में किया जाएगा।

गारंटी की अवधि

योजना के अंतर्गत गारंटी रक्षा मीयादी ऋण/संमिश्र ऋण की सहमत मीयादी के लिए है। कार्यकारी पूंजी के मामले में, गारंटी रक्षा 5 वर्षों के ब्लॉक के लिए 5 वर्षों के लिए है।

गारंटी फीस

योजना के अंतर्गत न्यास को देय फीस मंजूर ऋण सुविधाओं पर 1.5 प्रतिशत की एकबारगी गारंटी फीस और 0.75 प्रतिशत की वार्षिक सेवा फीस है। 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एकबारगी गारंटी फीस और वार्षिक सेवा फीस क्रमश: 1 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत है। साथ ही, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकबारगी गारंटी फीस केवल 0.75 प्रतिशत है।

वेबसाइट

सीजीटीएमएसई के परिचालन इंटरनेट से संचालित होते हैं। सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtsi.org.in है।

<u>योजना जागरूकता कार्यक्रम</u>

सीजीटीएमएसई ने बैंकों, एमएसई एसोसिएशनों, उद्यमियों, आदि में अपनी गारंटी योजना के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने, विभिन्न जिला/राज्य/ राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित बैठकों में उपस्थित रहने, आदि जैसा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार ऋण गारंटी योजना पर 1080 कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए थे। साथ ही, सीजीटीएमएसई ने 19 प्रदर्शनियों में भाग लिया और रिज़र्व बैंक / अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित 304 एसएलबीसी/ बैठकों में उपस्थित रहें। योजना को बढ़ावा देने और उसके संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए बैंकों, उद्योग एसोसिएशनों, और अन्य पणधारियों में पोस्टर और मेलर परिचालित किए गए हैं। एमएलआई को अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की दृष्टि से एमएलआई के स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों/महाविद्यालयों को योजना के

परिचालनात्मक तौर तरीके युक्त मल्टी मीडिया सीडी-रॉम वितरित किए गए। ट्रस्ट ने हाल ही में देश भर में डीएवीपी के माध्यम से 194 समाचार पत्रों में विज्ञापन अभियान शुरू किया है जिससे लक्ष्यित प्रेक्षकों के बीच योजना के बारे में काफी जागरूकता पैदा हो गई है।

अनुबंध -III

आरबीआई/2013-14/89
ग्राआऋवि.सं.एफआईडी.बीसी.सं. 10/12.01.033/2013-14 01 जुलाई 2013

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश / अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विद्यमान दिशा- निर्देशों / अनुदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में दिए गए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी सभी परिपत्र समेकित एवं अद्यतन किए गए है।

भवदीय

(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र

1. देश में औपचारिक ऋण प्रक्रिया का तेजी से विस्तार होने के बावजूद, बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गरीब ग्रामीणों की निर्भरता किसी तरह साहूकारों पर ही थी । ऐसी निर्भरता सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और जनजातियों के सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण कारीगरों में देखने को मिलती थी जिनकी बचत की राशि इतनी सीमित होती है कि बैंकों द्वारा उसे इक्टठा नहीं किया जा सकता । कई कारणों से इस वर्ग को दिए जाने वाले ऋण को संस्थागत नहीं किया जा सका है । गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाए गए अनौपचारिक समूहों पर नाबार्ड, एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय ऋण संघ (एप्राका) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) द्वारा किए गए अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि स्वयं सहायता बचत और ऋण समूहों में औपचारिक बैंकिंग ढांचे और ग्रामीण गरीबों को आपसी लाभ के लिए एकसाथ लाने की संभाव्यता है तथा उनका कार्य उत्साहजनक था।

2. तदनुसार, नाबार्ड ने गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की तथा उसे पुनर्वित्त का समर्थन प्रदान किया गया। नाबार्ड द्वारा कुछ राज्यों में परियोजना सहलग्नता के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में किए गए त्वरित अध्ययन से प्रोत्साहनपूर्ण तथा सकारात्मक विशेषताएं सामने आई हैं यथा स्वयं सहायता समूहों के ऋण की मात्रा में वृध्दि, सदस्यों के ऋण ढांचे में, आय न होने वाली गतिविधियों से उत्पादक गतिविधियों में परिवर्तन, लगभग 100% वसूली कार्यनिष्पादन, बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए लेन-देन लागत में भारी कटौती इत्यादि के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आय स्तर में क्रमिक वृद्धि । सहलग्नता परियोजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बैंकों से सहलग्न 85% के लगभग समूह केवल महिलाओं के ही थे ।

3. स्वयं सहायता समूहों और गैर संगठनों की कार्यप्रणाली के अध्ययन के विचार से ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भूमिका के विस्तार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री. एस. के. कालिया नाबार्ड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नवबंर 1994 में एक कार्यदल का गठन किया जिसमें प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता, शिक्षाविद् परामर्शदाता और बैंकर थे । कार्यदल का विचार था कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अब तक अछूते ग्रामीण गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार के लिए एसएचजी को बैंकों से सहलग्न करना एक लागत प्रभावी, पारदर्शी और लचीला उपाय है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वसूली तथा बारंबार अंतराल पर छोटे उधारकर्ताओं के साथ लेन-देन में उच्च लेन-देन लागत की बैंकों की दोहरी समस्या का अति आवश्यक समाधान प्रदान की जाने की आशा है। अतः कार्यदल को ऐसा महसूस हुआ कि नीति का मुख्य उद्देश्य स्वयं-सहायतासमूहों के गठन तथा बैंकों से उनकी सहलग्नता को प्रोत्साहित करना है और इस संबंध में बैंकों को मुख्य भूमिका निभानी होगी। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि बैंकों को सहलग्नता कार्यक्रम को एक

कारोबारी अवसर के रूप में लेना चाहिए तथा वे अन्य बातों के साथ-साथ संभाव्यता, स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध प्रतिभा / कौशल आदि को ध्यान में रखकर क्षेत्र-विशिष्ट और समूह - विशिष्ट ऋण पैकेज बनाएं।

4. रिज़र्व बैंक ने माइक्रो-वित्त वितरण संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने हेतु अक्तूबर 2002 में चार अनौपचारिक समूह गठित किए थे। समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति तथा केंद्र की बजट घोषणाओं में बैंकों के साथ एसएचजी की सहलग्नता पर ज़ोर दिया गया है तथा इस संबंध में बैंकों को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसएचजी सहलग्नता कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा उसे कायम रखने हेतु बैंकों को सूचित किया गया कि वे नीति और कार्यान्वयन दोनों स्तर पर एसएचजी उधार देने को अपनी मुख्य धारा के ऋण परिचालनों का एक भाग ही मानें। एसएचजी सहलग्नता को वे अपनी कोर्पोरेट कार्यनीति / योजना, अपने अधिकारियों और स्टाफ के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करें तथा इसे एक नियमित व्यवसाय गतिविधि के रूप में लागू करें और आवधिक रूप से उसकी निगरानी और समीक्षा करें।

5. **<u>प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत एक पृथक खंड</u> :** बैंक स्वयं सहायता समूह को दिए अपने उधारों की सूचना बिना किसी कठिनाई के दे सकें, अतः यह निर्णय लिया गया कि बैंक स्वयं सहायता समूहों/स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को नए खंड, नामतः "स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम" के अंतर्गत, चाहे स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिए गए ऋण का प्रयोजन कुछ भी हो, आगे ऋण देने के लिए स्वयं सहायता समूहों और/या गैर सरकारी एजेंसियों को दिए गए अपने ऋणों की सूचना दें । स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों को बैंक कमज़ोर वर्गों को दिए गए अपने ऋण के एक भाग के रूप में शामिल करें ।

6. **<u>बचत बैंक खाता खोलना</u> :** पंजीकृत और अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह जो अपने सदस्यों की बचत आदतों को बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं, बैंकों के साथ बचत खाते खोलने के पात्र हैं । यह आवश्यक नहीं है कि इन स्वयं सहायता समूहों ने बचत बैंक खाते खोलने से पहले बैंकों की ऋण सुविधा का उपयोग किया हो। चूंकि सभी पदधारियों का केवाइसी सत्यापन पर्याप्त है, अत: एसएचजी के बचत बैंक खाते खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाइसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि बचत बैंक खाता खोलते समय केवाइसी का पहले ही सत्यापन किया जा चुका होगा, और उक्त खाता परिचालन में जारी बना हुआ होगा और उसे ऋण सहलग्नता के लिए प्रयोग में लाया जा रहा होगा, अत: एसएचजी को ऋण सहलग्नता प्रदान करते समय सदस्यों अथवा पदधारियों का अलग से केवाइसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. **<u>एसएचजी उधारियाँ आयोजना प्रक्रिया का भाग हों</u>** : एसएचजी को बैंकों द्वारा दिए गए उधारों को प्रत्येक बैंक की शाखा ऋण योजना, ब्लॉक ऋण योजना, जिला ऋण योजना और राज्य ऋण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब एसएचजी बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा हो तो इन योजनाओं को तैयार करने में इस क्षेत्र को

सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे बैंक की कोर्पोरेट ऋण योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए।

8. **<u>मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड</u> :** नाबार्ड के परिचालनगत दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से बचत सहलग्न ऋण स्वीकृत किया जाता है (यह बचत और ऋण अनुपात 1 : 1 से 1 :4 तक भिन्न-भिन्न होता है)। अनुभव यह दर्शाता है कि समूह के महत्व और दबाव से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से अत्यधिक वसूली हुई है । बैंकों को सूचित किया गया कि बैंकों को मार्जिन, प्रतिभूति मानदण्डों इत्यादि के संबंध में दी गई लचीलेपन की अनुमति के अन्तर्गत ये प्रायोगिक परियोजनाएं इस प्रायोगिक चरण के बाद भी सहलग्नता कार्यक्रम के अन्तर्गत बने रहेंगे ।

9. **<u>दस्तावेजीकरण</u> :** एक ऐसी आसान प्रणाली, जिसमें न्यूनतम क्रियाविधि और दस्तावेजीकरण की अपेक्षा हो, एसएचजी को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की पूर्व शर्त है। उधारों के स्वरूप और उधारकर्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त मंजूरी अधिकार प्रदान करके ऋण शीघ्र स्वीकृत और संवितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा परिचालनगत सभी व्यवधानों को दूर करना चाहिए । ऋण आवेदन फार्मों, प्रक्रिया और दस्तावेजों को आसान बनाना चाहिए। इससे शीघ्र और सुविधाजनक रूप से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी ।

10. **<u>स्वयं सहायता समूहों में चूककर्ताओं की उपस्थिति</u> :** स्वयं सहायता समूहों के कुछ सदस्यों तथा/अथवा उनके परिवारों द्वारा बैंक वित्त के प्रति चूक को सामान्यतया स्वयं सहायता समूह के आड़े नहीं आना चाहिए, बशर्ते कि स्वयं सहायता समूह ने चूक न की हो । तथापि, स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक ऋण का उपयोग बैंक के चूककर्ता सदस्य को देने के लिए न किया जाए ।

11. **<u>क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण</u> :** सहलग्नता कार्यक्रम में आधार स्तर के पदाधिकारियों और बैंक के नियंत्रक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सुग्राहीकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा । आधार स्तर और नियंत्रक कार्यालय स्तर पर बैंक अधिकारियों/स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक स्वयं सहायता समूहों की सहलग्नता परियोजना के आन्तरिककरण के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं तथा आधार स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं । साथ ही, उनके मध्यम स्तर के नियंत्रक अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उचित जागरूकता/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ।

12. **<u>स्वयं सहायता समूह उधार की निगरानी और समीक्षा</u> :** स्वयं सहायता समूहों की संभाव्यता और स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के संबंध में बैंक शाखाओं को जानकारी न होने के मद्देनजर बैंकों को विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करनी चाहिए । असंगठित क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए चल रहे स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों को जनवरी 2004 में सूचित किया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम की निगरानी को कार्यसूची की एक मद के रूप में नियमित रूप से रखा जाना चाहिए । इसकी समीक्षा तिमाही आधार

पर उच्चत्तम कोर्पोरेट स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही, बैंकों द्वारा नियमित अन्तराल पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाए । प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त छमाही आधार पर नाबार्ड (एम.सी.आइ.डी.), मुम्बई को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए ताकि वह संबंधित रिपोर्ट की छमाही के 30 दिन के भीतर पहुंच जाए ।

13. **एसएचजी सहलग्नता को प्रोत्साहित करना :** बैंकों को अपनी शाखाओं को स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने और उनके साथ सहलग्नता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि प्रक्रिया बिलकुल सरल हो तथा स्थानीय स्थिति से मेल खाने वाली ऐसी प्रक्रिया में पर्याप्त लचीलापन हो । स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की समूह प्रगति उन पर ही छोड़ दी जाए और न उन्हें विनियमित किया जाए और न ही उन पर औपचारिक ढांचा थोपा जाए । स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण दृष्टिकोण बिल्कुल बाधारहित होना चाहिए तथा उनमें उपभोग व्यय भी सम्मिलित किया जाए ।

14. **ब्याज दरें :** बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों/सदस्य हिताधिकारियों को दिए गए ऋणों पर लागू होने वाली ब्याज दरें उनके विवेकाधिकार पर छोड़ दी जानी चाहिए ।

15. **स्वयं सहायता समूहों का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता :** बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वर्ष 2008-09 के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित केंद्रीय बजट के पैरा 93 में की गई परिकल्पना के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें जिसमें निम्नानुसार कहा गया था : *"बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नक्शे कदम पर चलने और स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात् (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि, और (ग) ऋण अदला-बदली (स्पैप) की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी। "*

अनुबंध - IV

आरबीआई/ 2013-14/389
ग्राआक्रवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी. सं. 61 /06.02.31/2013-14 2 दिसंबर 2013

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

महोदय / महोदया,

संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

कृपया आप सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर 27 दिसंबर 2005 और 6 मई 2008 के हमारे परिपत्र क्रमश: ग्राआक्रवि. केका. सं. आरआरबी. बीसी. 59/ 03.05.33(एफ)/ 2005-06 और ग्राआक्रवि.केका.प्लान.बीसी.सं. 66/ 04.09.01/ 2007-08 देखें।

2. मई - जुलाई 2013 के दौरान बैंकों के साथ हुई वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) समीक्षा बैठकों के दौरान यह देखा गया कि बैंकों द्वारा जीसीसी के अंतर्गत सूचित डाटा में व्यक्तियों को दिया गया उद्यमी ऋण दर्शाया नहीं जा रहा है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी समग्र दिशानिर्देशों के भीतर समस्त उत्पादक गतिविधियों के लिए अधिकाधिक क्रेडिट सहबद्धता सुनिश्चित करने हेतु जीसीसी की व्याप्ति को बढ़ाने और बैंकों द्वारा गैर कृषि उद्यमी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को दिए जानेवाले समस्त ऋण की जानकारी पाने की दृष्टि से जीसीसी दिशानिर्देश संशोधित किए जा रहे हैं। संशोधित योजना अनुबंध में दी गई है।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मौजूदा अन्य क्रेडिट कार्ड (उदाहरण के लिए काश्तकार क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और बुनकर कार्ड आदि) जिसके द्वारा व्यक्तियों की गैर कृषि उद्यमी क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती हो को वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) के अंतर्गत सामान्य क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिए गए क्रेडिट की रिपोर्टिंग में शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि जीसीसी का उद्देश्य समस्त उद्यमी ऋण को शामिल करना है, अत: व्यक्तियों को दिए जानेवाले खपत ऋण की रिपोर्टिंग जीसीसी के अंतर्गत न की जाए।

4. जीसीसी कार्ड जारी करने से बैंकों पर अपने ग्राहकों को उनकी उपभोक्ता जरुरतों के लिए किसी अन्य प्रकार का कार्ड जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बैंकों द्वारा दिये जानेवाले खपत ऋण की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एफआईपी रिपोर्टिंग फार्मेट में ओवरड्राफ्ट / खपत ऋण शीर्ष के अंतर्गत अलग से की जानी है।

5. ये दिशानिर्देश दिसंबर 2005 और मई 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जीसीसी दिशानिर्देशों के स्थान पर होंगे। उक्त संशोधन व्यक्तियों, विशेष रूप से छोटे साधनवाले (स्माल मीन्स) ऋणकर्ताओं को अधिकाधिक उद्यमी ऋण प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

6. सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी) को तत्काल कार्यान्वित करें तथा हमें उसकी सूचना दें।

भवदीया

(**माधवी शर्मा**)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

1 . उद्देश्य

इसका उद्देश्य सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के माध्यम से व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता की गतिविधि के लिए दिए जानेवाले ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है।

2 . पात्रता

व्यक्तियों को दिए जानेवाले ऐसे सभी गैर कृषि उद्यमी ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

3 . व्याप्ति

योजना में पूरे देश को शामिल किया गया है।

4 . वित्तीय सहायता का स्वरूप

उक्त योजना के तहत दी जानेवाली किसी भी ऋण सुविधा में उद्यमियों की कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण आवश्यकताएं दोनों शामिल होंगे। जीसीसी, अधिमानतः, एक स्मार्ट कार्ड/ डेबिट कार्ड (एटीएम / हाथ में धारित स्वाइप मशीन में इस्तेमाल के लिए संगत और उद्यमियों की पहचान, आस्ति और क्रेडिट प्रोफाइल आदि की पर्याप्त जानकारी के भंडारण के लिए सक्षम बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड) के रूप में जारी किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी खाते डिजीटल नहीं किए जाते हैं, वहां जीसीसी कुछ समय के लिए एक कार्ड / पास- बुक या धारक का नाम, पता, फोटोग्राफ, उधार सीमा का विवरण, वैधता अवधि आदि युक्त एक क्रेडिट कार्ड-व-पास बुक के रूप में जारी किया जा सकता है जिसे एक पहचान पत्र के रूप में तथा निरंतर आधार पर लेनदेन की रिकॉर्डिंग की सुविधा दोनों हेतु काम में लाया जा सकेगा।

5 . क्रेडिट सीमा की मात्रा

जहां तक ऋण गैर कृषि उद्यमशीलता की गतिविधि के प्रयोजन के लिए है और वह अन्यथा प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हो तो ऋण राशि पर **कोई उच्चतम सीमा नहीं** होगी। उक्त सीमा मामलावार आधार पर जोखिम मूल्यांकन आधारित रूप में निर्धारित की जानी चाहिए।

6 . सुरक्षा

सुरक्षा मानदंड माइक्रो और लघु इकाइयों के लिए दिए जानेवाले संपार्श्विक मुक्त ऋण पर रिजर्व बैंक द्वारा समय -समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

7 . ब्याज की दर

रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के भीतर बैंकों द्वारा अपनी बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जानी हैं।

अनुबंध - V

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी दावा</u>

1. **<u>बैंक का नाम</u> :**

तिमाही के अंत में एनयूएलएम के अंतर्गत एसईपी-1, एसईपी-जी और एसएचजी को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार पर ब्याज सब्सिडी दावों का प्रस्तुतीकरण :

हम एतद्द्वारा निम्नलिखित ग्राहक खाता संख्यों को नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार स्वीकृत वित्तीय सहायता के संबंध में ---------- खातों को समाविष्ट करते हुए कुल रु. ---------- (रुपए ----------) की ब्याज सब्सिडी स्वीकृत और जारी करने के लिए आवेदन करते हैं।

क) एसईपी - I (वैयक्तिक उद्यम)

सं.	**शाखा**	**ऋणकर्ता का नाम**	**ऋण खाता संख्या**	**ऋण राशि**		**ब्याज**	
				स्वीकृत	**वितरित**	**प्रभारित**	**दावा की गई सब्सिडी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1							
2							
3							
	जोड़						

ख) एसईपी - जी (समूह उद्योग)

सं.	**शाखा**	**समूह का नाम**	**ऋण खाता संख्या**	**ऋण राशि**		**ब्याज**	
				स्वीकृत	**वितरित**	**प्रभारित**	**दावा की गई सब्सिडी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1							
2							
3							
	जोड़						

ग) स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी बैंक सहलग्नता)

सं.	शाखा	एसएचजी का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	वितरित	प्रभारित	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	जोड़						

स्थान : **(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)**

तारीख और बैंक की मुहर

अनुबंध - VI

एनयूएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार पर अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के लिए दावों का प्रस्तुतीकरण :

बैंक का नाम :

तिमाही दावों का विवरण : वितरित ऋण / बकाया (आंकड़े रुपए में)

सं.	**शाखा**	**डब्ल्यूएसएचजी का नाम**	**ऋण खाता संख्या**	**वितरित ऋण राशि**	**ब्याज सबवेंशन की राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1					
2					
3					
	जोड़				

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त ऋणों की चुकौती समय पर की गई और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के लाभ त्वरित आदाता डब्ल्यूएसएचजी के लिए ब्याज की प्रभावी दर 4 प्रतिशत तक कम करते हुए डब्ल्यूएसएचजी के खाते में दिए गए।

स्थान **(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)**

तारीख और बैंक की मुहर